संख्या: 18 / 2016 / 1946 / सत्रह - म- 2016, 6-9(111) / 2016

प्रेषक,

दीना नाथ गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 18 अक्टूबर 2016

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में मत्स्य विभाग की नवीन योजना के लिए" तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना " हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मत्स्य विभाग द्वारा नवीन योजना के रूप में " तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना " को संचालित किया जा रहा है। उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 187.50 लाख (एक करोड सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है।

2- अत: वित्तीय वर्ष 2016-17 में मत्स्य विभाग की नवीन योजना के लिए " तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना " हेतु रू0 187.50 लाख (एक करोड सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3- उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन आयोजनागत, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0409- तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास, 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि रू0 187.50 लाख (एक करोड सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) का व्यय शासनादेश संख्या- 17/2016/1902/सत्रह-म-2016, 6-9(111)/2016 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार की जायेगी ।

5- यह आदेश् वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2016/बी-1-746/दस-2016 -231/2016 दिनांक 22-03-2016 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(दीनानाथ गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्या 18/2016/1946(1)/सत्रह- म-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-2 /नियोजन-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1

6 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेद्वी)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।